न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 36 / 2007

1 बिड़दुराम पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी मीलों की ढाणी दुर्जनपुरा तन नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 जगदीश प्रसाद पुत्र नारायणप्रसाद ब्राह्मण निवासी गणेशपुरा नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनू।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 बखिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 19.04.2007 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ उनवानी बिड़दुराम बनाम जगदीशप्रसाद वगै. मु.नं. 87 / 2004 दावा बाबत घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती स्थाई निषेधाज्ञा विक्रय पत्र दिनांक 04.04.70 को नल एण्ड वोइड घोषित करवाने बाबत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

उपस्थिति :

1. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता अपीलांट

–निर्णय–

दिनांकः– 12.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 87/2004 में पारित निर्णय दिनांक 19.04.2007 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी अपीलांट ने एक वाद घोषणार्थ, रिकार्ड दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा व विक्रय पत्र दिनांक 04.04.70 नल एण्ड बोईड घोषित करवाने बाबत भूमि खसरा नम्बर 258, 261, 262/1 वाके ग्राम मिलो की तन नवलगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी खारिज कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 258/2 रकबा 11 बीघा 4 बिश्वा, खसरा नम्बर 261/1 रकबा 3 बीघा 11 बिश्वा कुल 14 बीघा 15 बिश्वा भूमि का खातेदार होना माना लेकिन नकल विक्रय पत्र दिनांक 04.04.1970 के अनुसार वादी व उसके पिता मंगलाराम द्वारा अपनी भूमि खसरा नम्बर 262/1 में से 6 बीघा 10 बिश्वा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को विक्रय किया जाना तथा 04.06.1971 को अपीलान्ट द्वारा 2 बीघा 3 बिश्वा भूमि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 को विक्रय किया जाना अंकित किया है साथ ही 04.04.1970 को विक्रय पत्र में रास्ते का भी उल्लेख होना अंकित किया है लेकिन उन्होंने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विक्रय पत्र दिनांक 04.04.1970 दौराने दावा मु.नं.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

59/69 के विचारण के दौराने तस्दीक हुआ था जबकि दावा दिनांक 24.11. 1970 को डिक्री किया जाकर भूमि का विभाजन किया गया जिसके उपरोक्त विक्रय पत्र दौराने दावा तस्दीक हुआ जो कि कानूनन शून्य है। उपरोक्त विक्रय पत्र पर अगर अपीलान्ट के अगूंठा निशान सहमति हेतु मान भी लिया जाता है तो भी कानून की नजर में कोई महत्व नहीं है क्योंकि अपीलान्ट उस समय भूमि का रिकार्डेड खातेदार नहीं था तथा वह एक अशिक्षित व्यक्ति है। जो कि उस दौरान विक्रय पत्र का अर्थ भी नहीं समझता था यदि विक्रय पत्र में रास्ता अंकित भी कर दिया तो उसका भी कोई औचित्य नहीं था। क्योंकि उस समय भूमि अविभाजित था जिससे रास्ता अंकित करने का कोई महत्व ही नहीं है। फिर भी विचारण न्यायालय ने तनकी नम्बर 1 का निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध करने में कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 2 के निर्णय में फाईडिंग दी है कि विक्रय पत्र खारिज करने का अधिकारी हेतु वाद सिविल प्रकृति का होने के कारण सक्षम सिविल न्यायालय में पेश करना चाहती थे। लेकिन उन्होनें इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि विक्रय दिनांक 04.04.1970 दौराने दावा मु.नं. 59/69 के विचाराधीन रहने के दौरान तस्दीक हुआ था जिससे उपरोक्त विक्रय पत्र शुन्य है। शुन्य दस्तावेज को निरस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को है जिससे उनका निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 की फाईडिंग दी है कि विक्रय पत्र दिनांक 04.04.1970 जो कि वादी व वादी के पिता द्वारा रेस्पोडेन्ट प्रतिवादी नम्बर 1 के पक्ष में रजिस्ट्री विक्रय पत्र तस्दीक करवाया है जिसमें रास्ता वर्णित हैं जबकि वह एक स्वीकृत तथ्य है कि विक्रय पत्र दिनांक 04.04.1970 दौराने दावा मु.नं. 59/69 के विचारण के दौराने तस्दीक किया गया जब दिनांक 04.04.1970 का विक्रय पत्र ही शुन्य है तो उसमें वर्णित रास्ते का तो कोई औचित्य नहीं है। कानूनन रास्ता दुरूस्त करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को ही है। सिविल न्यायालय को मात्र रास्ते के मामले में इजमेन्ट एंव कस्टमरी राईट बाद सुन सकती है। जिससे निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 4 का निर्णयय मात्र

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रतिवादी नम्बर 1 की खातेदारी के आधार अपीलान्ट के विरूद्ध किया है जबकि रेस्पोडेन्ट द्वारा भूमि पर किसी भी प्रकार से अपना कब्जा होना प्रमाणित नहीं किया है फिर भी उन्होनें रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 का कब्जा मानकार तनकी अपीलान्ट के विरूद्ध करने में गलती कानूनी की है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 7 के निर्णय में फाईडिंग दी है कि वादी द्वारा मंगलाराम के सभी वारिसान को पक्षकार बनाना चाहिये था परन्तु वादी द्वारा ऐसा नहीं करने पर उसका क्लीन हैण्ड वाद प्रस्तुत नहीं किया जाना प्रमाणित है लेकिन उन्होने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जिस वादपत्र में वर्णित भूमि के लिये दावा प्रस्तुत किया गया है उस भूमि से मंगलाराम के अन्य वारिसों से कोई सम्बन्ध नहीं है। फिर भी विचारण न्यायालय ने तनकी आंशिक रूप से रेस्पोडेन्ट के हक में करने में कानूनी भूल की है। विचारण न्यायालय ने तनकी संख्या 8 व 9 का निर्णय बिना किसी फाईडिंग के रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में किया है जबकि तनकी संख्या 8 कब्जे के सम्बन्ध में है जिसकी विस्तृत विवेचना किया जाना आवश्यक है तथा तनकी संख्या 9 रेसजुडीकेटा से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा साबित करने के लिये कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है फिर भी विचारण न्यायालय ने उपरोक्त तनकीयात का निर्णय अपीलान्ट के विरूद्ध तथा रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के हक में तय करने में कानूनी भूल की है। जिससे निर्णय व डिक्री निरस्त होने योग्य है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वाद कथन एवं जवाब दावे के आधार पर 9 तनकीयात कायम की गई है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का विवेचन किये बिना संक्षिप्त रूप से तनकीवार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)

निर्णय पारित किया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि बाद सुनवाई पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विवेचन कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.08.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 12.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोलपुरिया)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झनूं)